न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2018/1322 दिनांक 6.6.18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व अपील सं. 01/18 अनवान केहनी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत पोकरासर वगैरा में न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.06.2018 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन अपील सं. 01/18 अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम में निर्णय दिनांक 05.06.2018 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2018 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व अपील :– 01/18 अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अनवान :–

अपीलाण्ट :– 1.केहनी पत्नि खेताराम, जाति जाट
निवासी खारावाला, तहसील चौहटन।

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. सरपंच ग्राम पंचायत पोकरासर 2.रेखाराम पुत्र खेताराम 3.मोटाराम 4.अचलाराम 5.गोसाईराम 6.भोमाराम पि.भैराराम 7.रूखमोदेवी पत्नि भैराराम 8.बांकाराम 9.गोगाराम पि.तुलछा 10.खेमी पत्नि तुलछा 11.मेहा 12.उमा पि.हीरा 13.रामा 14.कला पि.हरदान 15.रूखमों पत्नि हरदान, जाति जाट, निवासी खारावाला तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

वकील अपीलाण्टगण :– श्री पवन धारीवाल

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक 05.06.2018

अपीलाण्ट ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. विरूद्ध उतरदातागण पेश किया। जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 2 स्व. खेताराम के विधिक प्रथम वर्ग के वारिशान है। अपीलाण्ट के पति एवं उतरदाता सं. 2 के पिता स्व. खेताराम के खातेदारी के खेत मौजा खारावाला तहसील चौहटन में खसरा सं. 1181/1092 रकबा 20.00 बीघा, खसरा सं. 1089 रकबा 153.13 बीघा, खसरा सं. 1032 रकबा 02.16 बीघा, खसरा सं. 1210/1088 रकबा 139.11 बीघा के आये हुए है। जो वर्तमान में उतरदातागण सं. 2 से 15 के नाम दर्ज है। अपीलाण्ट के पति एवं उतरदाता सं. 2 के पिता खेताराम के फौत होने पर स्व. खेताराम के अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 2 विधिक वारिसान थे। स्व.खेताराम के फौत होने पर उतरदातागण ने अपीलाण्ट की स्थिति को छिपाते हुए नामान्तरकरण सं. 103 पटवारी हल्का पोकरासर एवं ग्राम पंचायत पोकरासर से मिलकर केवल उतरदाता सं. 2 के नाम खुलवाया तथा उतदाता सं. 1 ग्राम पंचायत पोकरासर के सरपंच से तस्दीक करा दिया और इस नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपीलाधीन स्व.

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

खेताराम के हिस्से की आराजी रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम अंकित हो गई। जबकि वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट का उतरदाता सं. 2 के बराबर बराबर हिस्सा बनता है।

जिस समय अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक हुआ उस समय अपीलाण्ट स्व.खेताराम की मृत्यू के सदमे में थी तथा अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रख पाई व अपने रिश्तेदारों उतरदाता सं. 3 से 15 के पूर्ण विश्वास पर थी। अर्सा 15 रोज पूर्व भूमि पर ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि अपीलाण्ट के नाम से ग्राम खारावाला में कोई खातेदारी भूमि नहीं है। अतः स्व. खेताराम की फौतगी पर पारित नामान्तरकण सं. 103 के विरूद्ध अपील करना आवश्यक हो गया। इसलिए अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 103 मौजा खारावाला पर पारित उतरदाता सं. 1 का आदेश निरस्त कर पुनः नए सिरे से विधिक वारिसान सं. उतरदाता सं. 2 के साथ अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

अपीलाण्टगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। अपीलाण्टगण द्वारा लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में नकल चालू जमाबन्दी मौजा खारावाला के खसरा सं. 1181/1092, 1089, 1032, 1210/1088 तथा नामान्तरकरण सं. 103 की छायाप्रति पेश की।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प पोकरासर में पेश हुई। अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 1 व 11 ने कैम्प में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है। शेष उतरदातागण से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है ।

पत्रावली का अध्ययन/अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मौजा खारावाला तहसील चौहटन में खसरा सं. 1181/1092 रकबा 20.00 बीघा, खसरा सं. 1089 रकबा 153.13 बीघा, खसरा सं. 1032 रकबा 02.16 बीघा, खसरा सं. 1210/1088 रकबा 139.11 बीघा में स्व. खेताराम की फौतगी पर नामान्तरकरण सं. 103 पारित करने में उतरदाता सं. 1 भारी विधिक भूल की है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व स्व.खेताराम के विधिक वारिशान की जांच न कर और अपीलाण्ट को मृतक बताकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल आदेश होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। विधि का यह सारभूत सिद्धान्त है कि एक भूमिधारी खातेदार के देहान्त होने पर उसकी खातेदारी जोत उसकी विधवा व उसके जीवित पुत्रो व पुत्रियों पर धारित होती है परन्तु उतरदाता सं. 1 ने विधि के इस सिद्धान्त की अनदेखी कर अपीलाधीन नामान्तरकरण उतरदाता सं. 2 के पक्ष में तस्दीक किया है , इन समस्त आधारों से यह भली प्रकार से साबित होता है कि उतरदाता सं. 1 का अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 103 आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

इस प्रकार न्यायालय के मतानुसार वादग्रस्त भूमि मौजा खारावाला तहसील चौहटन में खसरा सं. 1181/1092 रकबा 20.00 बीघा, खसरा सं. 1089 रकबा 153.13 बीघा, खसरा सं. 1032 रकबा 02.16 बीघा, खसरा सं. 1210/1088 रकबा 139.11 बीघा के संबंध में उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 103 खारीज़ योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा खारावाला तहसील चौहटन में खसरा सं. 1181/1092 रकबा 20.00 बीघा, खसरा सं. 1089 रकबा 153.13 बीघा, खसरा सं. 1032 रकबा 02.16 बीघा, खसरा सं. 1210/1088 रकबा 139.11 बीघा के संबंध पारित नामान्तरकरण सं. 103 खारीज किया जाकर आज्ञा है कि उपरोक्त वादग्रस्त में पुनः नये सिरे से स्व. खेताराम के विधिक वारिसान की सही जांच कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जावे।

निर्णय न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प पोकरासर में दिनांक 05.06.2018 को मजमे आम में लिखकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन